

दैनिक घटती घटना

Www.ghatatighatana.com

Ghatatighatana11@gmail.com

अमिकापुर, वर्ष 21, अंक - 70 शुक्रवार 10 जनवरी 2025, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये

महत्वपूर्ण खबर

महिला के शारीरिक बनावट पर कमेंट करना यौन उत्पीड़न के समान



केरल हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी कोच्चि, 09 जनवरी 2025(ए)। किसी भी महिला के बांधी स्ट्रॉप पर कमेंट करना यौन उत्पीड़न के समान है। ये यौन उत्पीड़न के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसा कहा है केरल हाईकोर्ट का केंद्रीय हाईकोर्ट ने कहा, विसी महिला के पिंगर पर कमेंट करना सेक्युरिटी और स्पेस के बराबर है। जस्टिस ए बद्रुद्दीन ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केसईबी) के एक पूर्व कर्मचारी की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

धनबाद में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में फायरिंग और बमबारी



धनबाद, 09 जनवरी 2025(ए)। धनबाद जिले की खरखरी कोलियरी में आउटसीरिंग पर काम करने वाली एक कंपनी में वर्चस्व को लेकर पिंडीही के सांस्कारिक काला चौपरी और ज्ञानपुरो नेता काल यादव के समर्थकों के बांधी गुरुवार को खुली संवर्ष हो गया। दोनों ओर से कई गुण्ड फायरिंग और बमबारी की गई। इसमें 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं।


ईडी गठबंधन खत्म हो



जम्मू-कश्मीर, 09 जनवरी 2025(ए)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडी गठबंधन को लेकर गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ईडी गठबंधन का कोई स्पष्ट नेतृत्व, एंडोज़ और बैट्केन नहीं हो रही है, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

महाराष्ट्र में एचएमपीवी वायरस की दस्तक

नागपुर में मिले नए मामले, सरकार ने जारी की एडवाइज़री



नागपुर, 09 जनवरी 2025(ए)। महाराष्ट्र में हुमन बेटाप्लैन्मोवरस (एचएमपीवी) के मामले ने चिंता बढ़ा दी है। यह में इस वायरस की संतान है। हालांकि, महाराष्ट्र की स्थिति बनने की संभावना कम है।

भोपाल सेंट्रल जेल में ड्रोन मिलने से हड़कंप



भोपाल, 09 जनवरी 2025(ए)। 26 जनवरी से पहले भोपाल की सेंट्रल जेल में एक ड्रोन कैमरा मिलने की घटना ने सुरक्षा प्रबंधों पर धूमधारा लगा दिया है। यह ड्रोन जेल की हाई-सिक्योरिटी बैरक से लगभग 200 मीटर दूर उस क्षेत्र में मिला, जहां नई बैरिक बनाई जा रही है। इस घटना के बाद जेल प्रशासन और भोपाल यूनिसियल ने अल्टर्ट पर है।

- » **क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी**
- » **सुप्रीम कोर्ट ने कहा-प्रतिस्पर्धा करने में समक्ष लोगों को आरक्षण से बाहर किया जाए**
- » **याचिका में की गई थी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति की मांग**

नई दिल्ली, 09 जनवरी 2025(ए)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पिछले 75 सालों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का लाभ ले चुके एसे व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। याचिका में की गई थी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति की मांग।

पैसले में दर्शाया गया है कि गुरुवार कोर्ट की बहुमत से ई.1. चिन्त्राया बनाम ऑंग्रेज़ राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच के 2024 के फैसले को खाली कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में जारी राष्ट्रपति की सूची में कोई भी बल्लव सिफर संसद कर सकती है और राज्यों को यह अधिकार नहीं है। सात जजों की बेंच ने 6:1 के बहुमत से ई.1. चिन्त्राया बनाम ऑंग्रेज़ राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच के 2024 के फैसले को खाली कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में जारी राष्ट्रपति की सूची में कोई भी बल्लव सिफर संसद कर सकती है और राज्यों को यह अधिकार नहीं है किया जा सकता क्योंकि वे अपने आप में एक समरूप वर्ग हैं।



याचिकाकर्ता ने कहा...छह माह बीत गए, पर नहीं बना कानून

याचिकाकर्ता के बेंचल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के ऊर्जेख किया, जिसमें ऐसी क्रीमी लेयर की हस्तान करने के लिए नीति बनाने की बात कही गई थी। जस्टिस गवर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति है। याचिकाकर्ता के बेंचल ने कहा कि संविधान पीठ ने राज्यों को नीति बनाने का निर्देश दिया था और तब से लगभग छह महीने बीत चुके हैं। पीठ ने जब याचिका पर सुनवाई के त्रैतीन दिन तक राज्य की तो बकील ने याचिका वापस लेने और संवर्धित प्राधिकारी के समक्ष पक्ष रखने की अनुमति मांगी, जो इस मुद्दे पर निर्णय ले सके। पीठ ने इसकी अनुमति दे दी। जब बरील ने तर्क दिया कि राज्य नीति नहीं बनाए और अंततः सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा तो अदालत ने कहा, याचिका कानून बना सकती है।

संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा था कि राज्यों को अनुच्छित जातियों (एससी) के भीतर उप-

जस्टिस वेला एम. त्रिवेदी ने जारी की असहमति

छह न्यायाधीशों ने एक दूसरे से सहमति जताने वाला फैसला दिया था, जबकि जस्टिस वेला एम. त्रिवेदी ने बहुमत के फैसले से असहमति जारी की। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा था कि एससी-एसटी का उपर्योगिकरण संवैधानिक प्रविधियों के विरुद्ध है। अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में जारी राष्ट्रपति की सूची में कोई भी बल्लव सिफर संसद कर सकती है और राज्यों को यह अधिकार नहीं है। सात जजों की बेंच ने 6:1 के बहुमत से ई.1. चिन्त्राया बनाम ऑंग्रेज़ राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच के 2024 के फैसले को खाली कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में जारी राष्ट्रपति की सूची में कोई भी बल्लव सिफर संसद कर सकती है और राज्यों को यह अधिकार नहीं है किया जा सकता क्योंकि वे अपने आप में एक समरूप वर्ग हैं।

20 साल पुराने मामले में बनाई व्यवस्था गलत

सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने एक आपास के 6-1 के बहुमत से दिए फैसले में कहा था कि एससी-एसटी वर्ग के ज्यादा जरूरतमयों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य एससी-एसटी वर्ग में उपर्योगिकरण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने पांच न्यायाधीशों के गलत ठहरा दिया था। इन्हीं चिन्त्राया बनाम ऑंग्रेज़ राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के ऊपर अंततः सुप्रीम कोर्ट के अधिकार नहीं हैं। इनका उपर्योगिकरण नहीं हो सकता। एक आपास के फैसले में कोई भी वीर आरक्षण पर तो मुद्रा लगाई जीती है। साथ ही एससी-एसटी वर्ग के आरक्षण में से त्रिवेदीलेयर को चिन्तित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी भी बल दिया था।

वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, जो सामाजिक रूप से विषय वर्ग है, ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण प्रदान किया जा सके। जातियों के ऊपर अंततः सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी त्रिवेदीलेयर की पहचान लगाई जानी चाहिए। उनमें जो लोग सक्षम हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए।

जस्टिस गवर्ड भी संविधान पीठ का

हिस्सा थे और उन्होंने एक अलग नियम लिया था। उन्होंने कहा था कि राज्यों को एससी और अनुच्छृंचित जनजातियों (एससी-एसटी) के भीतर भी त्रिवेदीलेयर की पहचान लगाई जानी चाहिए। उनमें जो लोग सक्षम हैं, उन्हें आरक्षण पर तो मुद्रा लगाई जीती है। साथ ही एससी-एसटी वर्ग के आरक्षण में से त्रिवेदीलेयर को चिन्तित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी भी बल दिया था।

वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, जो सामाजिक रूप से विषय वर्ग है, ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण प्रदान किया जा सके। जातियों के ऊपर अंततः सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से विषय वर्ग में उपर्योगिकरण की सूची में उत्कृष्ण अंतर प्रदान किए गए हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उत्कृष्ण प्रदर्शन के कारण उत्कृष्ण स्कूल द्वारा आयोजित जापान के अध्ययन दौरे में उसे भाग लेने के लिए चयनित किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्कृष्ण प्रदर्शन के कारण उत्कृष्ण स्कूल द्वारा आयोजित जापान के अध्ययन दौरे में उसे भाग लेने के लिए चयनित किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्कृष्ण प्रदर्शन के कारण उत्कृष्ण स्कूल द्वारा आयोजित जापान के अध्ययन दौरे में उसे भाग लेने के लिए चयनित किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्कृष्ण प्रदर्शन के कारण उत्कृष्ण स्कूल द्वारा आयोजित जापान के अध्ययन दौरे में उसे भाग लेने के लिए चयनित किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्कृष्ण प्रदर्शन के कारण उत्कृष्ण स्कूल द्वारा आयोजित जापान के अध्ययन दौरे में उसे भाग लेने के लिए चयनित किया गया है। हाईकोर्ट

निजर हत्या मामला:

कनाडा की अदालत से 4 भारतीय हत्यारोपियों को जमानत, अब सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को सुनवाई

ओटावा, 09 जनवरी 2025।

खालिस्तानी आतंकवादी हादीप सिंह निजर की हत्या के आरोप में गिरफतार चार भारतीय नागरिकों को कनाडा की अदालत से राहत 2023 के मामले में रियल कैरेडिन माउंटेड पुलिस ने करण बराड़, कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और अमरदीप सिंह को गिरफतार किया था। अब चारों को सरे प्रातीय न्यायालय से जमानत मिल गई है। चारों के खिलाफ अब ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने 11 फरवरी को सुनवाई होगी।

चारों की जमानत के संबंध में ब्रिटिश कोलंबिया सकार के न्याय विभाग की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड की गई है। दस्तावेज़ में चारों आरोपियों को हिरासत की

स्थिति के सामने एन लिखा हुआ है। करण बराड़, कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और अमरदीप सिंह पर फाइल नंबर 256562 के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। इसके पुढ़े लिखा करने पर पता लगा कि चारों पर हत्या की साजिश और हत्या करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक बराड़ करण और कमलप्रीत

2001 में हुआ, अमरदीप 2002 में जबकि करणप्रीत 1995 में जन्मा है।

ब्रिटिश कोलंबिया के सरे और एडमैन्यून शहर में 1 मई, 2023 को हुई बारदात के सिलसिले में इन चारों को 18 जून 2023



हत्याकांड को अंजाम देने के आरोप भी लगे हैं। हालांकि, कनाडाई मीडिया के भारत से लिंक होने की जो अटकलें लगाई जा रही थीं, उसके बारे में पुलिसकर्मियों ने कोई सबूत नहीं दिया।

चारों की गिरफतारी के समय विदेश मंत्रालय ने इस बात को दोहराया था, कनाडा ने निजर की हत्या के मामले को

गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के

प्रधानमंत्री जरिस्टस ट्रूडो ने आरोप लगाया था

कि इस हत्याकांड में भारत की मीलीतता है।

हालांकि, भारत ने बार-बार इन आरोपों का खंडन किया है। ट्रूडो के इस आरोप के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाट आ गई थी।

दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा

और दोनों ने एक दूसरे के राजनीतिकों को

निकापित कर दिया था।

हालांकि, ट्रूडो के आरोपों के बाद से अब

तक कनाडा ने इस मामले में भारत सरकार

के साथ सबूतों को सज्जा नहीं दिया।

विदेश मंत्री एस जश्चकर ने कहा कि यह एक

बौद्धिक विदेशी पर भारत को कोई

विदेशी सुचना नहीं गई है।

निजर की सरे में एक गुरुद्वारे के बाद

करने के लिए तैयार है।

पर हमलों में उल्लेखीय बड़े देशों

में उल्लेखीय देशों

